फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

सुरेन्द्रपाल बनाम बलराम आदि

किस्म मुकदमा 88 , आर.टी.एक्ट. नम्बर 334 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
22.0.2019	वादी अभिभाषक की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14.08.2019 को पेश हो।	
14/8/19	~~वादी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की हम परिवार का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये यह वाद वापी चलाने वादी वाद वापी स्वामित की अर्थ वापी की पहचान मदन मोहन अधिवक्ता ने की।~~ ~~वादी के वाद नहीं चलाने के कारण वाद वापी स्वामित किया गया है पत्रावली नस्ती की जाकर रिकार्ड दफ्तर है।~~ ~~आदेश आज ईजलास सुनाया गया।~~	मैंवारी वाद खारिज करवाना चाहता हूं। सुरेन्द्रपाल Identified by me [illegible] Advocate

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर